राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
भारत सरकार
मिसिल संख्या रा.पि.व.आ./08/06/368/2020-केएसपी

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारीगण के साथ दिनांक 12.08.2021 को हुई सुनवाई का कार्यवृत

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण :-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग
2. श्री रामायण यादव, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
3. श्री जी. रविन्दर, निदेशक एवं संपर्क अधिकारी (अ.पि.व.), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
4. श्री उमेश बंसल, उप महानिदेशक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
5. श्री राम चरण मीणा, निदेशक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
6. श्री कौशिक बनर्जी, अनुभाग अधिकारी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
7. श्री शुभम पाठक, सहायक अनुभाग अधिकारी, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

सुनवाई का विस्तृत विवरण:-

1. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया है कि संपर्क अधिकारी, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग पिछड़े वर्ग के संबंध में क्या-क्या जानते हैं, इस संबंध में संपर्क अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अनुच्छेद 338B संविधान के तहत पिछड़े वर्गो के लोगों के कल्याण के लिए है। इस सबध में माननीय आयोग द्वारा पूछा गया है कि आप रोस्टर रजिस्टर के बारे में क्या जानते हैं इस संबध में संपर्क अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में 200 प्वाइट रोस्टर होता है और हमारे यहां 10 कैडर हैं जिसमें सीधी भर्ती होती है।
2. माननीय आयोग द्वारा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के संपर्क अधिकारी से पूछा गया कि रोस्टर रजिस्टर में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कौन-कौन से बिंदु निर्धारित होते है इस संबंध में संपर्क अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वह चार्ट देखकर 200 प्वाइट रोस्टर बनाते हैं। माननीय आयोग द्वारा संपर्क अधिकारी से कहा गया कि वह आयोग को इस उत्तर को शपथ-पत्र पर लिखकर प्रस्तुत करें।

क. बनार्जी
14.09.2021

14/9/21
LO (MoHUA)

3. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया है कि प्रशनावली में प्रश्न संख्या आठ के उत्तर में ओबीसी के प्रथम श्रेणी को 13.36%, द्वितीय श्रेणी में ओबीसी का प्रतिनिधित्त 22.40% और तृतीय श्रेणी में 15.95% है। तो यह 27% से कम होने का क्या कारण है, इस संबंध में उप महानिदेशक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रथम श्रेणी में सिर्फ AEE से लेकर DG के पद है जिनमें ओबीसी पद के अनुसार शामिल किए गए। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में पदोन्नत पद हैं। तृतीय श्रेणी में एलडीसी और एमटीएस सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाते हैं और यूडीसी पदोन्नत पद है और पदोन्नत पद पर पिछड़े वर्ग को भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में लिया जाता है इस वजह से यह कोटा कम है। इस संबंध में आयोग द्वारा पूछा गया है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन का रजिस्टर किस-किस वर्ग का बनता हैं। इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि प्रमोशन में सिर्फ एससी, एसटी और अनरिजर्व्ड का रोस्टर रजिस्टर बनाते हैं।
4. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रथम श्रेणी में कितने अधिकारी हैं इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रथम श्रेणी में दिनांक 31.12.2020 तक 1240 अधिकारी हैं। इस संबंध में आयोग द्वारा पूछा गया है कि 1 जनवरी 2018 को प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या 1395 थी और 31.12.2020 को 1240 हो गई है, इसका क्या कारण है। इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा बताया गया कि प्रथम श्रेणी की संख्या कैसे कम हुई इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। इस संबंध में आयोग द्वारा पूछा गया कि जानकारी नहीं होने का क्या कारण है इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा बताया गया कि यह डाटा कंपाइल करने के लिए अलग सेक्शन है और उस सेक्शन से डाटा कंपाइल होता है इस कारण से अभी जानकारी नहीं है। इस संबंध में आयोग द्वारा इससे संबंधित सारा डाटा आयोग में 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने को कहा गया है।
5. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि सन 1997 का रोस्टर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में बना है। इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 1997 में रोस्टर नहीं बना हुआ था।
6. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कट ऑफ डेट रोस्टर रजिस्टर कब से बनाना शुरू किया गया। इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा

कृ. बनर्जी
14.09.2021

14/9/21
LOCMOHU

बताया गया कि वर्ष 2012 से कट ऑफ डेट रोस्टर रजिस्टर बनाना शुरू किया गया। आयोग द्वारा यह जवाब शपथ पत्र पर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।

7. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के संपर्क अधिकारी द्वारा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के रोस्टर रजिस्टर का कितनी बार इंस्पेक्शन किया गया है। इस संबंध में संपर्क अधिकारी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा बताया गया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के रोस्टर रजिस्टर का दो बार इंस्पेक्शन किया गया है।
8. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि सीपीडब्ल्यूडी में वर्ष 2012 से पहले रोस्टर रजिस्टर नहीं था तो अब आपने किस आधार पर रोस्टर रजिस्टर बनाया है इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा बताया गया कि हमे सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ का पता था जिससे उन्होंने पता लगाया कि 100 बिन्दुवार, 200 बिन्दुवार तथा 13 बिन्दुवार में से कौन-सा रोस्टर लगेगा उस हिसाब से रोस्टर बनाया गया था।
9. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि 13 बिन्दुवार रोस्टर पहली तथा अंतिम बार कब एप्लीकेबल किया गया था। इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा बताया गया कि 13 पॉइंट रोस्टर सीधी भर्ती में बनाया गया था जिसमे केवल 8 पोस्ट हैं और उससे पहले हमारे पास 6 पद के उसी बेस पर 13 प्वाइंट रोस्टर लगाया गया था।
10. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया है कि वर्ष 1993 से अब तक रोस्टर रजिस्टर की रिकास्टिंग कितनी बार हुई है, इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा बताया गया कि उन्हें रोस्टर रिकास्टिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आयोग द्वारा यह जवाब शपथ-पत्र पर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।
11. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया है कि संपर्क अधिकारी, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पास अभी तक पिछड़े वर्ग के लोगों से कितनी शिकायते आई हैं, इस संबंध में संपर्क अधिकारी द्वारा बताया गया कि उन्हें पिछडे वर्ग से संबंधित अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
12. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या पिछडे वर्ग के उम्मीदवारों का साक्षात्कार अलग से किया जाता है इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा बताया गया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में भर्ती एसएससी तथा यूपीएससी के द्वारा की जाती है।

क. बनर्जी
14.09.2021

14/9/21
LO (MoHUA)

13. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया है कि 41 कौन-कौन से पद हैं जिनमें अलग-अलग लोगों को डाला गया है और वह किस पॉइंट पर थे उनकी शुरुआती नियुक्ति, नियुक्ति पत्र, विज्ञापन की प्रतिलिपि तथा चयन समिति की रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें।
14. माननीय आयोग द्वारा कहा गया है कि 01.01.2018 से 31.12.2020 तक 133 लोगों का जो अंतर है इसमे से कितने सेवानिवृत्त हुए है और इससे संबंधित सारी जानकारी माननीय आयोग को उपलब्ध कराये।
15. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर कितने लोग काम कर रहे हैं। इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा बताया गया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंटमेंट नहीं है, सिर्फ टेंपरेरी बेस पर रखे गए हैं।

उपरोक्त सभी अपेक्षित जानकारी आयोग को 03 कार्यदिवस में उपलब्ध करायी जाएं।

(श्री राम चरण मीणा)
निदेशक,
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

(श्री उमेश बंसल)
उप महानिदेशक,
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

क. बनर्जी 14.09.2021
(श्री कौशिक बनर्जी)
अनुभाग अधिकारी,
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

14/9/21
(श्री जी. रविन्दर)
निदेशक एवं संपर्क अधिकारी
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

F.No. NCBC/08/06/368/2020-KSP

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसंधान अनुभाग

सुनवाई का कार्यवृत

अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दिनाँक 29.07.2020 एवं 01.10.2020 को एक प्रश्नावली, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को भेजी गई थी। जिसका प्रतिउत्तर प्राप्त न होने के कारण श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दिनाँक 06.10.2020 समय 02: 00 बजे कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 को सुनवाई नियत की गयी।

बैठक मे उपस्थित अधिकारी

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. डॉ लोकेश कुमार प्रजापति, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य
3. डॉ. सुधा यादव, माननीय सदस्य
4. श्री बी० के० पति, उप सचिव
5. डॉ. मधुमाला चट्टोपाध्याय, संयुक्त निदेशक
6. श्री जे. रविशंकर, अवर सचिव
7. डॉ. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी
8. श्री गुलशन, अनुसंधान अधिकारी
9. कु. राजशी पटवारी, अनुसंधान अन्वेषक

आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु अपेक्षित अधिकारीगण :-

1. महानिदेशक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

उपस्थित अधिकारीगण (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) :-

1. श्री विवेक वंसल, उप महानिदेशक
2. श्री आर सी मीना, महानिदेशक
3. श्री शुभम पाठक, सहायक अनुभाग अधिकारी
4. श्री के० पी० सिंह, अधिशाषी अभियंता

5. श्री एस० आर० सिंह, सहायक अभियंता

सुनवाई के दौरान हुई चर्चा का विस्तृत विवरण:-

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2018-20 में कि गई असिस्टेंट (ऐ० डी०) की भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु एक भी सीट आरक्षित क्यों नहीं है ?

श्री विवेक वंसल, उप महानिदेशक: पूर्व में हुई भर्ती के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 27 प्रतिशत से ज्यादा थे इसीलिए वर्ष 2018-20 में कि गई असिस्टेंट (ऐ० डी०) की भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु सीट आरक्षित नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: कितने अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी ज्यादा थे जिसकी वजह से एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई ?

श्री विवेक वंसल, उप महानिदेशक: इससे सम्बंधित जानकारी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। कुछ समय बाद उपलब्ध करवा दी जायेगी।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: एल० डी० सी० में 39 पदों पर सिर्फ 4 भर्ती की गयी है, 35 का शार्टफाल दिखाया गया है ?

श्री विवेक वंसल, उप महानिदेशक: महोदय, हम एस० एस० सी० को वर्षवार 27 प्रतिशत पोजीशन ही भेज रहे है, यदि शार्टफाल होता है तो उसे कैरी- फॉरवर्ड करते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: ग्रुप –सी के अंतर्गत कौन कौन से पद आते है एवं इनका क्या कार्य होता है ?

श्री विवेक वंसल, उप महानिदेशक: ग्रुप –सी के अंतर्गत एम० टी० एस०, एल० डी० सी० इत्यादि पद आते है जिनका कार्य कार्यालय सहायक एवं फाईल को लाना ले जाना इससे सम्बंधित होता है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: आपके द्वारा जो कुल कर्मचारियों की संख्या से सम्बंधित अनुलग्नक- सी लगाया गया है उसमे अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या 27 प्रतिशत के अनुसार नहीं है इसका क्या कारण है ?

आयोग के समक्ष वर्ष 2017, 2018, 2019, 2020 का ग्रुप-A, ग्रुप-B, ग्रुप-C एवं ग्रुप-डी का रोस्टर प्रस्तुत करे। साथ ही आयोग द्वारा भेजी गई प्रश्नावली में 08.09.1993, 02.07.1997 एवं 31.12.1997 का रोस्टर माँगा गया था जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया गया है। इसको कब तक उपलब्ध करवाया जायेगा।

श्री विवेक वंसल, उप महानिदेशक: माननीय आयोग द्वारा माँगी गई जानकारी अगले सप्ताह तक भेज दी जायेगी।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का संपर्क अधिकारी (लाईसन अधिकारी)कौन है आयोग के समक्ष उनका जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कीजिये ।

श्री विवेक वंसल, उप महानिदेशक: जी।

निष्कर्ष:-

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल (माननीय सदस्य), डॉ लोकेश कुमार प्रजापति(माननीय उपाध्यक्ष) एवं डॉ. सुधा यादव (माननीय सदस्य) ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियो से समस्त पक्षों पर चर्चा करने के पश्चात् यह निर्णय लिया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी निम्नलिखित जानकारी आयोग के समक्ष अतिशीघ्र उपलब्ध करवाए ।

1. वर्ष 2017, 2018, 2019, 2020 का ग्रुप-A, ग्रुप-B, ग्रुप-C एवं ग्रुप-डी का रोस्टर।
2. आयोग द्वारा भेजी गई प्रश्नावली के अनुसार दिनांक 08.09.1993, 02.07.1997 एवं 31.12.1997 का रोस्टर।
3. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के संपर्क अधिकारी (लाईसन अधिकारी) से संबंधित जानकारी एवं उनका जाति प्रमाण पत्र।

(उप महानिदेशक)
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
भारत सरकार
मिसिल संख्या रा.पि.व.आ./08/06/368/2020-केएसपी
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारीगण के साथ दिनांक 12.08.2021 को हुई सुनवाई का कार्यवृत

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण :-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री रामायण यादव, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
3. श्री जी. रविन्दर, निदेशक एवं संपर्क अधिकारी (अ.पि.व.), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
4. श्री उमेश बंसल, उप महानिदेशक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
5. श्री राम चरण मीणा, निदेशक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
6. श्री कौशिक बनर्जी, अनुभाग अधिकारी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
7. श्री शुभम पाठक, सहायक अनुभाग अधिकारी, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

सुनवाई का विस्तृत विवरण:-

1. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया है कि संपर्क अधिकारी, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग पिछड़े वर्ग के संबंध में क्या-क्या जानते हैं, इस संबंध में संपर्क अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अनुच्छेद 338B संविधान के तहत पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए है। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा पूछा गया है कि आप रोस्टर रजिस्टर के बारे में क्या जानते हैं इस संबंध में संपर्क अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में 200 प्वाइंट रोस्टर होता है और हमारे यहां 10 कैडर हैं जिसमें सीधी भर्ती होती है।
2. माननीय आयोग द्वारा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के संपर्क अधिकारी से पूछा गया कि रोस्टर रजिस्टर में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कौन-कौन से बिंदु निर्धारित होते है इस संबंध में संपर्क अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वह चार्ट देखकर 200 प्वाइंट रोस्टर बनाते हैं। माननीय आयोग द्वारा संपर्क अधिकारी से कहा गया कि वह आयोग को इस उत्तर को शपथ-पत्र पर लिखकर प्रस्तुत करें।

15/8/21
उमेश बंसल / UMESH BANSAL
उप महानिदेशक (मानव संसाधन-I) / DDG(HR-I)
महानिदेशालय / Directorate General
के.लो.नि.वि., निर्माण भवन, नई दिल्ली
C.P.W.D., Nirman Bhawan, New Delhi

3. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया है कि प्रशनावली में प्रश्न संख्या आठ के उत्तर में ओबीसी के प्रथम श्रेणी को 13.36%, द्वितीय श्रेणी में ओबीसी का प्रतिनिधित्त 22.40% और तृतीय श्रेणी में 15.95% है। तो यह 27% से कम होने का क्या कारण है, इस संबंध में उप महानिदेशक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रथम श्रेणी में सिर्फ AEE से लेकर DG के पद है जिनमें ओबीसी पद के अनुसार शामिल किए गए। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में पदोन्नत पद हैं। तृतीय श्रेणी में एलडीसी और एमटीएस सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाते हैं और यूडीसी पदोन्नत पद है और पदोन्नत पद पर पिछड़े वर्ग को भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में लिया जाता है इस वजह से यह कोटा कम है। इस संबंध में आयोग द्वारा पूछा गया है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन का रजिस्टर किस-किस वर्ग का बनता हैं। इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि प्रमोशन में सिर्फ एससी, एसटी और अनरिजर्व्ड का रोस्टर रजिस्टर बनाते हैं।
4. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रथम श्रेणी में कितने अधिकारी हैं इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रथम श्रेणी में दिनांक 31.12.2020 तक 1240 अधिकारी हैं। इस संबंध में आयोग द्वारा पूछा गया है कि 1 जनवरी 2018 को प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या 1395 थी और 31.12.2020 को 1240 हो गई है, इसका क्या कारण है। इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा बताया गया कि प्रथम श्रेणी की संख्या कैसे कम हुई इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। इस संबंध में आयोग द्वारा पूछा गया कि जानकारी नहीं होने का क्या कारण है इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा बताया गया कि यह डाटा कंपाइल करने के लिए अलग सेक्शन है और उस सेक्शन से डाटा कंपाइल होता है इस कारण से अभी जानकारी नहीं है। इस संबंध में आयोग द्वारा इससे संबंधित सारा डाटा आयोग में 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने को कहा गया है।
5. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि सन 1997 का रोस्टर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में बना है। इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 1997 में रोस्टर नहीं बना हुआ था।
6. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कट ऑफ डेट रोस्टर रजिस्टर कब से बनाना शुरू किया गया। इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा

13/9/21
उमेश ब... / UMESH BANSAL
उप महानिदेशक (... संसाधन–I)/DDG(HR-I)
महानिदेशालय / Directorate General
के.लो.नि.वि., निर्माण भवन, नई दिल्ली
C.P.W.D., Nirman Bhawan, New Delhi

बताया गया कि वर्ष 2012 से कट ऑफ डेट रोस्टर रजिस्टर बनाना शुरू किया गया। आयोग द्वारा यह जवाब शपथ पत्र पर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।

7. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के संपर्क अधिकारी द्वारा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के रोस्टर रजिस्टर का कितनी बार इंस्पेक्शन किया गया है। इस संबंध में संपर्क अधिकारी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा बताया गया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के रोस्टर रजिस्टर का दो बार इंस्पेक्शन किया गया है।
8. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि सीपीडब्ल्यूडी में वर्ष 2012 से पहले रोस्टर रजिस्टर नहीं था तो अब आपने किस आधार पर रोस्टर रजिस्टर बनाया है इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा बताया गया कि हमे सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ का पता था जिससे उन्होंने पता लगाया कि 100 बिन्दुवार, 200 बिन्दुवार तथा 13 बिन्दुवार में से कौन-सा रोस्टर लगेगा उस हिसाब से रोस्टर बनाया गया था।
9. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि 13 बिन्दुवार रोस्टर पहली तथा अंतिम बार कब एप्लीकेबल किया गया था। इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा बताया गया कि 13 पॉइंट रोस्टर सीधी भर्ती में बनाया गया था जिसमे केवल 8 पोस्ट हैं और उससे पहले हमारे पास 6 पद के उसी बेस पर 13 प्वाइंट रोस्टर लगाया गया था।
10. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया है कि वर्ष 1993 से अब तक रोस्टर रजिस्टर की रिकास्टिंग कितनी बार हुई है, इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा बताया गया कि उन्हें रोस्टर रिकास्टिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आयोग द्वारा यह जवाब शपथ-पत्र पर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।
11. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया है कि संपर्क अधिकारी, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पास अभी तक पिछड़े वर्ग के लोगों से कितनी शिकायते आई हैं, इस संबंध में संपर्क अधिकारी द्वारा बताया गया कि उन्हें पिछड़े वर्ग से संबंधित अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
12. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों का साक्षात्कार अलग से किया जाता है इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा बताया गया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में भर्ती एसएससी तथा यूपीएससी के द्वारा की जाती है।

15/9/21

उमेश बंसल / UMESH BANSAL
उप महानिदेशक (मानव संसाधन–I) / DDG(HR-I)
महानिदेशालय / Directorate General
के.लो.नि.वि., निर्माण भवन, नई दिल्ली
C.P.W.D., Nirman Bhawan, New Delhi

13. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया है कि 41 कौन-कौन से पद हैं जिनमें अलग-अलग लोगों को डाला गया है और वह किस पॉइंट पर थे उनकी शुरुआती नियुक्ति, नियुक्ति पत्र, विज्ञापन की प्रतिलिपि तथा चयन समिति की रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें।
14. माननीय आयोग द्वारा कहा गया है कि 01.01.2018 से 31.12.2020 तक 133 लोगों का जो अंतर है इसमे से कितने सेवानिवृत्त हुए है और इससे संबंधित सारी जानकारी माननीय आयोग को उपलब्ध कराये।
15. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर कितने लोग काम कर रहे हैं। इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा बताया गया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंटमेंट नहीं है, सिर्फ टेंपरेरी बेस पर रखे गए हैं।

उपरोक्त सभी अपेक्षित जानकारी आयोग को 03 कार्यदिवस में उपलब्ध करायी जाएं।

15/09/21

(श्री राम चरण मीणा)
निदेशक,
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
RAM CHARAN MEENA
Director (Admn.-II)
Dte. General, CPWD
Nirman Bhawan, New Delhi

15/9/21

(श्री उमेश बंसल)
उप महानिदेशक,
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
उमेश बंसल / UMESH BANSAL
उप महानिदेशक (मानव संसाधन–I) / DDG(HR-I)
महानिदेशालय / Directorate General
के.लो.नि.वि., निर्माण भवन, नई दिल्ली
C.P.W.D., Nirman Bhawan, New Delhi

(श्री कौशिक बनर्जी)
अनुभाग अधिकारी,
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(श्री जी. रविन्दर)
निदेशक एवं संपर्क अधिकारी
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग